बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–7 / ज0–1–104 / 2010– 196 दिनांक-22.5.25

प्रेषक,

पंकज कुमार,
प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

अभय कुमार सिंह,
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार।
सभी नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पंचायत,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

विषयः– दिनांक–30.12.2024 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में शहरी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन / हस्तांतरण हेतु सम्पन्न समन्वय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–30.12.2024 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के शहरी क्षेत्रों के जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं हस्तांतरण हेतु समन्वय बैठक की गई जिसमें प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं दोनों विभाग के अन्य पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं के क्रियान्वयन, इन योजनाओं को नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। मुख्य सचिव महोदय के निदेश के आलोक में दिनांक–03.05.2024 को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त बैठक में 7 शहरी जलापूर्ति योजनाओं को लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा संबंधित नगर निकाय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया था। इसके आलोक में दो शहरी जलापूर्ति योजना का हस्तांतरण संबंधित नगर निकायों द्वारा नहीं लिया गया है।

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्रों 5 निर्माणाधीन जलापूर्ति योजनाओं जिसका कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है, के हस्तांतरण के संबंध में भी निर्णय लिया जाना है।

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि नगर निकायों के नये परिसीमन होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों की कई जलापूर्ति योजना अब नगर निकाय

20/5

क्षेत्र में सम्मिलित हो गये हैं, इन योजनाओं के संचालन/रख–रखाव के संबंध में निर्णय लिया जाना है। इन योजनाओं में से 8 जलापूर्ति योजनाओं के रख–रखाव एवं संचालन की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है जिसके कारण इन योजनाओं के संचालन में कठिनाई आ रही है।

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि 141 नगर निकायों के 3398 वाडों में से 212 वार्ड में जलापूर्ति योजनाओं का रख–रखाव एवं संचालन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एवं अवशेष योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 120 नवगठित नगर निकायों के 1798 वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव विभिन्न एजेन्सियों से नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। नई योजनाओं के निविदा में 15 वर्षों तक O&M संबंधित संवेदकों से ही कराने का प्रावधान किया गया है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी जलापूर्ति योजनाओं को नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया।

देश के अन्य राज्यों के शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जबावदेही नगर निकायों द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है। बिहार में भी बुडको, नगर निगमों एवं नगर परिषदों के कार्य क्षमता में काफी विकास हुआ है। अतः एक दूरगामी परिदृश्य में कार्य करने की आवश्यकता है।

सम्यक विचारोपरान्त, उपरोक्त योजनाओं के हस्तांतरण एवं संचालन के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

(1) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित / संचालित जलापूर्ति योजनाओं जिनकी O&M की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका हस्तांतरण "As is Where is basis" पर संबंधित नगर निकायों को करायी जाय एवं अद्यतन दायित्व की राशि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को दी जाय, ताकि संविदात्मक एवं अन्य दायित्वों का निपटारा हो सके।

(2) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित / संचालित वैसी जलापूर्ति योजना जो वर्तमान में एजेन्सी के O&M की अवधि के अंतर्गत है, उनका संचालन O&M की निर्धारित अवधि तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराने एवं तदोपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग को "As is Where is basis" पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। O&M समाप्ति की अवधि तक इन योजनाओं की निगरानी, पर्यवेक्षण एवं निर्धारित जलकर का संग्रहण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त अवधि तक की राशि का भुगतान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ससमय की जाय।

(3) नवगठित नगर निकायों में अवस्थित वार्डों की जलापूर्ति योजनाओं जिसका क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया गया है, का रख–रखाव एवं संचालन दिनांक 01.04.2026 तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ही कराये जाने का निर्णय लिया गया। वर्णित तिथि के बाद संबंधित नगर निकायों द्वारा योजना का हस्तांतरण "As is Where is basis" पर प्राप्त कर इनके

रख–रखाव एवं संचालन किया जायेगा। वर्णित तिथि तक नवगठित नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के रख–रखाव एवं संचालन हेतु आवश्यक तैयारी कर ली जायेगी। जिन योजनाओं का हस्तान्तरण स्थानीय नगर निकायों द्वारा लिया जा चुका है, उसका संचालन पूर्ववत किया जायेगा।

(4) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्माणाधीन जलापूर्ति योजनाओं को लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग द्वारा ही पूर्ण कराने के उपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग को "As is Where is basis" पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया एवं इस हेतु आवश्यक राशि का उपबन्ध एवं हस्तांतरण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शीघ्र कर दिया जाय।

(5) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संविदा अवधि में योजना के साथ संविदा (संविदात्मक/संवैधानिक दायित्व सहित) हस्तानान्तरण लिया जायेगा एवं इसके साथ संविदा के सभी दायित्व बकाया एवं वैधानिक दायित्व का नियमानुसार निष्पादन नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से किया जायेगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं कार्यपालक पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि जलापूर्ति निर्बाध रूप से हो सके। साथ ही निर्बाध जलापूर्ति करने हेतु सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण करते हुए प्राप्त शिकायतों/परिवादों का निस्तारण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के CGRC (Centrilised Grievance Redressal Cell) के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

20/5/15

(अभय कुमार सिंह)
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

20/05/2015

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना